(3)

# कार्यालयः गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

पत्रांकः 442/नियो0अनु0/गो0वि0प्रा0/2023–24, दिनांकः 19/05/2023

अधिशासी अभियन्ता,
सहायक सम्पत्ति अधीक्षक,
गो0वि0प्रा0, गोरखपुर।

कृपया गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम खोराबार उर्फ सुबाबाजार एवं जंगल सिकरी उर्फ खोराबार के अन्तर्गत कुल 187.18 एकड़ (75.75 हेक्टेयर) भूमि का भू–विन्यास मानचित्र तैयार कराया गया है। जिसके अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि का क्षेत्रफल 173.92 एकड़ (70.38 हेक्टेयर) है तथा 13.26 एकड़ (05.37 हेक्टेयर) सरकारी भूमि सम्मिलित है।

उल्लेखनीय है कि तलपट मानचित्र में मेडिसिटी एवं खोराबार आवासीय योजना को समायोजित कर तैयार किया गया है, जिसमें मेडिसिटी हेतु भूमि का उपयोग सामुदायिक सुविधाए किये जाने हेतु शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित गोरखपुर महायोजना–2031 में प्राविधान किया गया है। इस प्रकार मेडिसिटी में भूमि का आवंटन/विक्रय विलेख आदि की कार्यवाही गोरखपुर महायोजना–2031 शासन के अनुमोदन के उपरान्त किया जाना समीचीन होगा। साथ ही मेडिसिटी योजना अन्तर्गत प्रस्तावित धर्मशाला, सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत स्थित होने के कारण महायोजना के प्राविधानों के अनुसार केवल चैरिटबल संस्थाओं को दिया जाना समीचीन है।

तलपट मानचित्र में योजना हेतु कुल 757507.41 वर्गमी0 अर्थात 187.18 एकड़ अर्थात 75.75 हेक्टेयर भूमि निर्धारित की गयी है, जिसमें 30006.42 वर्गमी0 अर्थात 7.41 एकड़ अर्थात 3.00 हेक्टेयर भूमि मिश्रित भू–उपयोग, 296368.58 वर्गमी0 अर्थात 73.23 एकड़ अर्थात 29.64 हेक्टेयर भूमि मेडिसिटी तथा 431132.41 वर्गमी0 अर्थात 106.54 एकड़ अर्थात 43.11 हेक्टेयर भूमि खोराबार आवासीय योजना हेतु आरक्षित की गयी है।

अवगत कराना है कि परिचालन पद्धति से दिनांकः 24.03.2023 को योजन का टेन्टेटिव तलपट मानचित्र प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया चुका है। प्राधिकरण स्तर पर योजना सक्षम स्तर से दिनांकः 16.05.2023 को अनुमोदन किया गया है। दिनांकः 18.05.2023 को प्राधिकरण बोर्ड की 124वीं बैठक के प्रस्ताव सं0ः 124.13 पर प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष पुनः संशोधित मानचित्र/ले–आउट मे0 इन्सीड से तैयार कराकर बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

अतः अनुमोदति तलपट मानचित्र की एक–एक प्रति आपको आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है।

19/5/2023

प्रभारी अधिकारी नियोजन
गो0वि0प्रा0, गोरखपुर।